प्रस्ताव सं0 48 **दिनांक** 1/8/2016

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 जयपुर द्वारा वितरित किये गये ऋणों की वसूली संतोषजनक नहीं है विशेष रूप से वर्ष 2009 से 2011 तक राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा वितरित किये गये अधिकांश ऋण अवधि पार हो गये हैं। जिलो में किये गये दौरो एवं निरीक्षण के दौरान अधिकांश जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा ऋण वसूली के सम्बन्ध में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (Negotiable Instrument Act 1881) की धारा –138 के तहत सम्बन्धित ऋणी के विरूद्व अभियोग दर्ज करने हेतु RMFDCC द्वारा निर्धारित वकील की फीस बहुत कम होना बताया गया है। वर्तमान में RMFDCC द्वारा निम्न प्रकार फीस निर्धारित की हुई है:–

	विवरण फीस	राशि(रू0)
1.	नोटिस की फीस	150
2.	वकील की फीस	500
3.	स्टेशनरी,टंकण व स्टाम्प फीस	300

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा वर्तमान में 1500/– रूपये प्रत्येक प्रकरण के निर्धारित की हुई है। ऐसी स्थिति वसूली में प्रगति लाने हेतु निम्नानुसार फीस निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है:–

	विवरण फीस	राशि(रू0)
1	नोटिस फीस	150
2	वकील फीस	750
3	वाद तैयार करने एवं स्टेशनरी फीस	600

वकील द्वारा नोटिस दिये जाने के बाद वसूली प्राप्त होने या अभियोजन दर्ज करने के बाद ही भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

प्रबन्ध निदेशक

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं
विकास सहकारी निगम लि., जयपुर
कोड सं. 102654

प्रशासक

निर्णय

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 जयपुर में वकील की फीस व अन्य खर्च के लिये प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं
विकास सहकारी निगम लि., जयपुर
कोड सं. 102654

प्रशासक